

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायगढ़ (छ0ग0)

:: आदेश ::

क्रमांक/4660/कोरोना सेल/2021

रायगढ़ दिनांक 05/06/2021

कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4146/कोरोना सेल/2021 दिनांक 15.05.2021 एवं आदेश क्रमांक 4425/कोरोना सेल/2021 दिनांक 31.05.2021 के माध्यम से रायगढ़ जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 05.06.2021 रात्रि 12.00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला रायगढ़ में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये थे।

रायगढ़ जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, किन्तु कोविड-19 से होने वाले मौतों की संख्या अभी भी चिंता का विषय है। अतः कोरोना वायरस की चैन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण रायगढ़ जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोक हित में आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4146/कोरोना सेल/2021 दिनांक 15.05.2021 एवं आदेश क्रमांक 4425/कोरोना सेल/2021 दिनांक 31.05.2021 को अधिकमित करते हुए मैं, भीम सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ:-

1. आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी :-

- सभी सुपर मार्केट/सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो-रूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, बार, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बन्द रहेंगे।
- स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी।
- सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
- सभी पान ठेले/गुमटी जहां पर पान, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा का विक्रय किया जाता है, का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

2. वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 निर्धारित की जाती है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना एवं समय-समय पर हाथ धोना/सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवेदक को विवाह हेतु आवेदन के साथ विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों (वर एवं वधु सहित) का नाम/जानकारी एवं शादी में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का 72 घंटे पूर्व का कोविड-19 जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/ सब्जी लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06 बजे तक रहेगी।

4. घर-घर जाकर दुग्ध-वितरण एवं न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 07.30 बजे तक ही होगी।
5. सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, अनाज मंडी, मदिरा दुकानें, प्रातः 08:00 बजे से संध्या 05.00 बजे तक (रविवार को छोड़कर) खुले रहेंगे। होम डिलीवरी को प्राथमिकता दी जाएगी।
6. चौपाटी, चाट, समोसा गुपचुप, फास्ट-फूट इत्यादि की दुकान/ठेलों में खाद्य विक्रय की अनुमति टेक-अवे/पार्सल के माध्यम से प्रातः 08:00 बजे से संध्या 05.00 बजे तक (रविवार को छोड़कर) होगी। दुकान/ठेले पर ग्राहकों को बिठाकर/खड़ाकर खिलाना प्रतिबंधित होगा।
7. होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाइन/टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन-हाउस डाइनिंग पूर्ववत् प्रतिबंधित रहेगी। होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत् रात्रि 09.00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10.00 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
8. रायगढ़ जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे। किन्तु अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करते हुये, कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत् टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत् रहेगी।
9. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
10. निजी निर्माण कार्य की सशर्त अनुमति होगी। श्रमिकों को मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित रूप से सेनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 के गाइडलाइन नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
11. पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।
12. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी रायगढ़ द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।
13. सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
14. मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान/प्रतिष्ठान द्वारा ग्राहकों को बिना मास्क के सामान विक्रय किया जाता है या फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।
15. प्रतिदिन संध्या 05.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/


फल/सब्जी की लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

16. प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., न्यूजपेपर, दुग्ध तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
17. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।
18. उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनका टिकट ही ई-पास होगा। अपरिहार्य स्थितियों में रायगढ़ जिले से अन्यत्र आने जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/पोस्टल/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 या वेक्सीनेशन ड्यूटी में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों/चिकित्सकों हेतु नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा।
19. आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है।
20. यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण/यातायात), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
21. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश दिनांक 06.06.2021 से प्रभावशील होगा एवं आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।


कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 4660 A / कोरोना सेल / 2021
प्रतिलिपि :-

रायगढ़, दिनांक 05/06/2021

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
5. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर
6. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर
—की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
8. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़
10. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़
12. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़
13. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़
14. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़
15. खाद्य अधिकारी, रायगढ़
16. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला रायगढ़
17. सर्व थाना प्रभारी, जिला रायगढ़
— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
18. जिला परिवहन अधिकारी, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। रायगढ़ जिला अन्तर्गत आवागमन के दौरान वाहनों के संबंध में इस आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
19. उप संचालक, जनसंपर्क, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ हेतु।

H
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)